# युवा जागरण मंच

शिवालय घाट मित्रा चौक, बेतिया (प.चम्पारण) 845438

सर पे कफन बांध ले हाथों मे तिरंगा युवा जागरण मंच ने है
ये ठाना चम्पारण से है भ्रष्टाचारियों को भगाना

संस्थापक सह अध्यक्ष
**दीपेश सिंह**
वार्ड पार्षद

वरिय उपाध्यक्ष
**दीप्ती झा**

सचिव
**अभिषेक कु. पाण्डे**
पूर्व पार्षद

मंच प्रवक्ता
**मनीष कश्यप**

पत्रांक..072/22 दिनांक..07/09/22

सेवा में,
श्रीमान् अपर सचिव,
राजभवन, पटना।

विषयः बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में होनेवाली नयी अतिथि शिक्षकों की बहाली मे घोर अनियमितता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित करना है कि इस बहाली में घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं धांधली की सूचना आ रही है। अतः इसको निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से उजागर कर रहे हैं:–

I. नई शिक्षा नीति 2020 में यूजीसी ने इस बात का उल्लेख किया है कि जुलाई 2022 से किसी भी शिक्षक (अतिथि शिक्षक) को न हटाया जायेगा न हीं कोई अतिथि शिक्षक क नयी बहाली किसी भी रूप में की जा सकती है। इस आशय के संबंध में साक्ष्य के रूप में सभी संबंधित प्रपत्रों की छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।

II. भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में होने वाले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन में रोस्टर (Roster) को ध्यान में नहीं रखा गया है।

II. उक्त नियुक्ति में रेशनलाइजेशन (छात्र–शिक्षक अनुपात) जिसकी अभी तक मंत्रीमंडल/कैबिनेट से स्वीकृति भी नहीं मिली है जिसको विश्वविद्यालय दैनिक समाचार पत्रों में आधार बनाया है।

IV. इस विज्ञप्ति में जानबूझकर विश्वविद्यालय द्वारा विषयवार पदों की संख्या को नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी करेगा। ऐसी आशंका है।

# युवा जागरण मंच

शिवालय घाट मित्रा चौक, बेतिया (प.चम्पारण) 845438

सर पे कफन बांध ले हाथों मे तिरंगा युवा जागरण मंच ने है
ये ठाना चम्पारण से है भ्रष्टाचारियों को भगाना

संस्थापक सह अध्यक्ष
**दीपेश सिंह**
वार्ड पार्षद

वरिय उपाध्यक्ष
**दीप्ती झा**

सचिव
**अभिषेक कु. पाण्डे**
पूर्व पार्षद

मंच प्रवक्ता
**मनीष कश्यप**

पत्रांक 07/22 दिनांक 07/09/22

V. ऐसी सूचना है कि एक–एक अभ्यर्थियों से नियुक्ति के एवज में 5 लाख रूपयों की माँग की जा रही है। जिससे दलालों की संख्या बढ गयी है। अतः इस नियुक्ति को विश्वविद्यालय सेवा आयोग से ही की जाय।

VI. इस नियुक्ति में विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जितने पदों पर नियुक्ति हो रही है उसको छोड़कर शेष बचे पदों पर हीं नियुक्ति की जाय क्योंकि बाद में आयोग से नियुक्ति होने पर भी शिक्षक को नहीं हटाया जाय क्योंकि वे मानसिक प्रताड़ना का शिकार होने से बचे। ऐसी घटना पटना विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग के डॉ० अविनाश झा के साथ घट चुकी है। जिसकी साक्ष्य दैनिक पत्रों में छपे समाचार पत्र की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।

VII. वर्तमान कुलपति प्रो० (डॉ०) हनुमान पाण्डेय जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है उनको एवं वर्तमान कुलसचिव प्रो० (डॉ०) रामकृष्ण ठाकुर को भी इस नियुक्ति में भी उनके द्वारा धाँधली होने की बहुत संभावना है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर गंभीरता के साथ ध्यान देने का कष्ट करें। हमार संस्था निरन्तर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं।

विश्वासभाजन

Dipesh Singh

अनुलग्नक

1. अतिथि बहाली परिनियम की छायाप्रति
2. रोस्टर शिकायत की छायाप्रति
3. बिना रोस्टर के विज्ञापन की छायाप्रति
4. रोस्टर की शिकायत (आरक्षण) की छायाप्रति

प्रतिलिपि

1. अपर-सचिव राजभवन, पटना
2. कुलपति, बी० आर० ए० बी० यू०, मुजफ्फरपुर
3. प्रति-कुलपति, बी० आर० ए० बी० यू०, मुजफ्फरपुर
4. कुलसचिव, बी० आर० ए० बी० यू०, मुजफ्फरपुर

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

विषय :– राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर अस्थायी रूप से अंशकालिक शिक्षक की सेवाएँ लिये जाने के संबंध में।

बिहार राज्य में दस परम्परागत विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इन परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में लंबी अवधि से शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। साथ ही सहायक प्राचार्य से सह–प्राचार्य/विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति होने के फलस्वरूप सहायक प्राचार्य के बहुत पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त सेवानिवृति के कारण भी सहायक प्राचार्य पदों की रिक्तियों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है।

2. विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की सुसंगत धाराओं में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब सहायक प्राचार्य के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जानी है। सम्प्रति विश्वविद्यालयों से प्राप्त रिक्तियों को विषयवार/आरक्षण कोटिवार समेकित कर आयोग को नियुक्ति की कार्रवाई हेतु भेजा गया है। आयोग द्वारा पदों को विज्ञापित कर, अन्तर्वीक्षा लेकर मेधा सूची अनुशंसा आदि सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने में विलम्ब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्काल विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल कायम रखने तथा आगामी सत्र से छात्रों को पठन–पाठन में होने वाली कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सहायक प्राचार्य के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अद्यतन मानदेय के आधार पर, नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता वाले अंशकालिक शिक्षकों की सेवाएँ, सहायक प्राचार्य के रिक्त पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक निम्नांकित शर्तों के अधीन लिए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है:–

- अंशकालिक सहायक प्राचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अंशकालिक शिक्षक के लिए प्रति व्याख्यान रूपये 1000/–(एक हजार) अधिकतम

25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये प्रति माह की दर पर सेवाएँ ली जा सकेगी।

(i) अतिथि/अंशकालिक सहायक प्राचार्य की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध की जा सकेगी।

(ii) अतिथि/अंशकालिक सहायक प्राचार्य की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत है।

(iv) अतिथि/अंशकालिक शिक्षक, नियमित शिक्षकों की भाँति मताधिकार के उद्देश्य से अथवा पाठ्यक्रम समिति का सदस्य होने के उद्देश्य से, नियमित शिक्षकों के समरूप नहीं माने जा सकेगें।

(v) अतिथि/अंशकालिक शिक्षक को कोई अन्य भत्ता/भविष्य निधि/पेंशन एवं उपदान आदि का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(vi) अंशकालिक शिक्षक की सेवायें लिए जाने में राज्य में लागू आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा।

(vii) नियमित नियुक्ति होते ही अंशकालिक शिक्षकों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जाएँगी।

4. इन अंशकालिक सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य शामिल रहेंगे :–

i. विश्वविद्यालय प्राचार्य से अन्यून स्तर के तीन विषय विशेषज्ञ।

ii. संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष को भी विश्वविद्यालय प्राचार्य से अन्यून स्तर का होना चाहिए। बशर्ते कि विभागाध्यक्ष अगर विश्वविद्यालय प्राचार्य के स्तर का नहीं हो तो कुलपति किसी अन्य विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष का मनोनयन कर सकते हैं।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर अंशकालिक सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जा सकेगी।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/A2-01/2014 पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/A2-01/2014 पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशन के अनुरोध के साथ (सी0डी0 सहित) प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/A2-01/2014 – 1594 पटना, दिनांक 20/8/2014

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/माननीय मंत्री (शिक्षा विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विधि कोषांग/निदेशक (उच्च शिक्षा)/उप निदेशक (बजट) उच्च शिक्षा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उ0शि0)/बजट पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 (उच्च शिक्षा)/रोकड़पाल (उच्च शिक्षा) एवं सभी सहायक/वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/8/15
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
20/8

## रोस्टर पालन नहीं करने की शिकायत

मुजफ्फरपुर। बी आरए बिहार विवि में अतिथि शिक्षकों के लिए निकले विज्ञापन पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति और जाति आयोग में शिकायत की गयी है। शिकायत करने वाले अशोक रंजन और नवल किशोर ने कहा है कि बिहार विवि ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन नहीं किया गया है।विवि के रजिस्ट्रार प्रो. राम कृष्ण ठाकुर ने कहा कि आरोप निराधार है।

## कॉलेज ने गरीब बच्चों के लिए एक

मुजफ्फरपुर। आरडीएस कॉलेज के शिक्षक औ गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े एकत्र किए। क शर्मा ने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीबों के बी उनकी वास्तविक सेवा हो पाती है। उन्होंने कह नहीं और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं। उन्होंने व

# आज और कल भर सकते हैं मैट्रिक व इंटर का फॉर्म

मैट्रिक-इंटर परीक्षा

मुजफ्फरपुर | वरीय संवाददाता

[illegible]

पिछले वर्ष बनी कॉलेजों तक भी परीक्षा में इस्तेमाल

[illegible]

...की सूची अपलोड करने का निर्देश दिया है।



# चित्रकला में स्कूली बच्चों ने दिखायी प्रतिभा

[illegible]

## 12 को होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे

मुजफ्फरपुर। स्कूलों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नवंबर को होगा। इसके लिए सभी स्कूलों को छुट्टी के दिन भी खोल कर रखने का निर्देश डीईओ ने दिया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई का जायजा लिया जाएगा। बच्चों की सीखने की क्षमता को भी जांची जाएगी। डीईओ अब्दुस्सलाम अंसारी ने बताया कि बच्चों की सीखने की क्षमता में कैसे सुधार हो इस पर सर्वे किया जाएगा।

## डीएलएड में नामांकन को तीसरी सूची जारी

मुजफ्फरपुर। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चंदवारा में डीएलएड सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची जारी कर दी गयी है। इसकी जानकारी प्राचार्य [illegible] आलम ने दी। उन्होंने बताया कि दो नवंबर को विज्ञान संकाय और तीन नवंबर को कला, वाणिज्य और उर्दू अभ्यर्थियों का नामांकन जांच के बाद लिया जाएगा। नामांकन सुबह 11 से शाम चार बजे तक लिया जायेगा।

## रोस्टर पालन नहीं करने की शिकायत

मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विवि में अतिथि शिक्षकों के लिए निकले विज्ञापन पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति और जाति आयोग में शिकायत की गयी है। शिकायत करने वाले अशोक रंजन और नवल किशोर ने कहा है कि बिहार विवि ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। विवि के रजिस्ट्रार प्रो. राम कृष्ण ठाकुर ने कहा कि आरोप निराधार है।

## छात्रों को दिया क्लास करने का निर्देश

मुजफ्फरपुर। एलएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने सोमवार को सभी विभागों में पूर्णकालिक सेमेस्टर -1 विषय में शामिल हो रहे पीजी के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को वर्ग में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों के अध्यक्ष से बिना सूचना अनुपस्थित छात्रों का नामांकन रद्द करने की कार्रवाई को कहा। छात्रों से बात करते हुए उन्होंने सभी विभागों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने को कहा।

# ...का उपाय बताएंगे छात्र

[illegible]

वाद-विवाद प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। छात्रों के बीच क्विज भी होगी। सीबीएसई के इस कार्यक्रम में छात्र लोगों को जागरूक भी करेंगे। छात्र घर-घर जाकर लोगों को बताएंगे कि नदी हमसे जुड़ी हुई है। इसके अलावा जिनके घर नदी के आसपास होंगे उन्हें जाकर छात्र बताएंगे कि नदी में किसी तरह का कचरा नहीं फेंके और उसे प्रदूषित होने से बचाएं। इसके साथ नदियों के किनारे पौधारोपण भी छात्र करेंगे। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि स्कूल इस कार्यक्रम की फोटो भी भेजेंगे।

## रंगोली व पेंटिंग में दिखाई प्रतिभा

मुजफ्फरपुर। महिला शिल्प कला भवन कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को पेंटिंग तथा रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसमें एनसीसी व एनएसएस की छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई। रेड रिबन क्लब की ओर से छात्राओं को दी गई थीम 'टीबी बीमारी' पर छात्राओं ने पेंटिंग बनाई। वहीं, रंगोली प्रतियोगिता में मोर व फूलों के तरह-तरह के डिजाइन बनाकर उन्हें रंगों से सजाया गया। निर्णायक मंडली में प्रो. पूनम वर्मा, प्रो. लोकमान्य, प्रो. रइस तथा प्रो. लक्ष्मी रानी को शामिल किया गया। बताया कि छठ के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।

## कॉलेज ने गरीब बच्चों के लिए एकत्र किए गर्म कपड़े

मुजफ्फरपुर। आरडीएस कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने सोमवार को गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े एकत्र किए। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अमिता शर्मा ने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीबों के बीच गर्म कपड़े के वितरण से उनकी वास्तविक सेवा हो पाती है। उन्होंने कहा कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं। उन्होंने की कि गरीब बच्चों के सेवार्थ सभी शिक्षक व कर्मचारी स्माइल बॉक्स में गर्म कपड़े डालें, जिनका वितरण गरीब परिवारों के बीच होगा।

# बिहार एथलेटिक्स चैंपियनशिप 15 नवंबर से मुजफ्फरपुर में

मुजफ्फरपुर | खेल संवाददाता

बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन ने 87वीं बिहार राज्य जूनियर व सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मुजफ्फरपुर को सौंपी है। जिले में सातवीं बार इस चैंपियनशिप की [illegible]

के सचिव मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में यह मीट हो रहा है। यह भारतीय सेना को समर्पित है। उन्होंने बताया कि खेल मंत्रालय ने इस मीट में कोविड-19 का पालन करने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन के [illegible]

# साइबर सेल ...

[illegible]

## छुट्टी रद्द होने से छठ करने वाले पुलिसकर्मी परेशान

[illegible]

## खरीदारी के लिए ... कैंटीन आज खुल...

मुजफ्फरपुर। नोखासही स्थित मिलिट्री ... अवस्थित सीएसडी कैंटीन मंगलवार ... खुला रहेगा। कार्य अवधि के दौरान ... की जा सकती है। इसकी जानकारी ... वायु सैनिक मनोज कुमार सिंह ने ... सीएसडी कैंटीन में सामान ... पूर्व सैनिकों न सतु पुंगा और ... भेजा था।


...को कभी भुलूं नहीं
लोक आस्था
पर हार्दिक शुभकामनाएं
...गौरव
...त स्वादिष्ट

# अतिथि शिक्षक के लिए कल से लिया जाएगा आनलाइल आवेदन

मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कालेजों में रिक्त शिक्षकों के सीटों के विरुद्ध एक नवंबर से आनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 20 नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जबकि विवि में कुलसचिव के यहां आवेदन जमा करना होगा। नियुक्ति की यह प्रक्रिया कितने सीटों के लिए की जा रही है यह अबतक स्पष्ट नहीं हो सका है। विवि की ओर से बताया कि कालेजों से रिक्त सीटों की संख्या मांगी गई है। पिछले वर्ष 436 सीटों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस वर्ष कुल 380 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

सेवा में,

दिनांक: 25/10/2021

अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
आयोग मुख्यालय
त्रिकूट-1, भीकाजीकामा प्लेस नयी दिल्ली- 110066

विषय: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) की बहाली हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या-01/2021, दिनांक-12/10/2021के साथ-साथ बिहार राज्य में अवस्थित अन्य सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापनों में आरक्षण रोस्टर की गड़बड़ी के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि बिहार राज्य में अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर द्वारा अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है,जिसकी विज्ञापन संख्या-01/2021, दिनांक-12/10/2021है। विदित हो कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा पहले से विज्ञापित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या-1594 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि इस संकल्प के अनुसार- अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) की नियुक्ति में आरक्षण सम्बंधित नियमो का अक्षरश: पालन किया जायेगा। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के पत्रांक- NCBC/06/07/897/2021-CP/Review-BBABU, दिनांक-28/07/2021 के आरक्षण रोस्टर संबंधित आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है , और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट एवं पुष्ट जानकारी है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के साथ-साथ बिहार राज्य में अवस्थित अन्य सभी विश्वविद्यालयों में जैसे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-08/2021 एवं अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या- 01/2021 तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या- PTE - 01/2021 में आरक्षण रोस्टर की अनदेखी की जा रही है।

अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए आरक्षण संबधित नियमों का अक्षरशः पालन कराने की कृपा करें ताकि हम सभी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ समुचित न्याय हो सके।

सादर धन्यवाद !